कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-20.07.2024

विषयः- जानलेवा हमला करने के मामले मे वांछित 03 अभियुक्तगण थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे, श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 449/2024 धारा 191(2),115(2),117(2),110,352,351(2) बी.एन.एस. कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. शिवम कुमार पुत्र नागेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम रमना थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी, 2. रंजीत कुमार पुत्र नागेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम रमना थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी व 3. अजीत कुमार पुत्र नागेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम रमना थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को आज दिनांक-20.07.2024 को समय करीब 11.00 बजे ग्राम रमना थाना चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण- दिनांक 19.07.2024 को वादिनी श्रीमती पुष्पलता पत्नी राजकुमार निवासिनी रमना थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रार्थिनी के परिवार के अशोक, रोहित, राहुल घर से बाजार जा रहे थे कि घर से 100 मी. की दूरी पर रास्ते में पुरानी रंजिश को लेकर दि0 19/07/024 को समय करीब 9.00 बजे सुबह मेरे गांव के विपक्षीगण नागेन्द्र पुत्र हरीराम व रंजीत व सुजीत व शिवम पुत्रगण नागेन्द्र निवासी ग्राम रमना थाना चौबेपुर वाराणसी घात लगाकर बैठे थे अनावश्यक रूप से मेरे भसुर अशोक व भतीजा रोहित व राहुल को गाली गुप्ता देने लगे। विरोध करने पर लाठी-डण्डा व राड से मेरे परिवार के लोगों पर हमलाकर बुरी तरह से मारा पीटा जिससे उसी समय छुड़ाने आये रामदुलार पुत्र स्व0 रामवृक्ष को भी मारकर घायल कर दिया। मौके पर अशोक को काफी चोट लगने के कारण बेहोश हो गये तथा राहुल, रोहित का हाथ काफी चोट लगने के कारण टूट गया है। मौके पर अशोक को काफी चोट लगने के कारण बेहोश हो गये तुरन्त मौके पर एम्बुलेंस द्वारा सभी घायलों को अस्पताल नरपतपुर गांव व घर के लोगों के सहयोग से भेजा गया तथा ज्यादा चोट लगने के कारण ट्रामा सेन्टर B.H.U. नरपतपुर डॉक्टर साहब भेज दिये है। मौके पर मैं व अन्य परिवार व घर के लोग व गांव के लोग उक्त घटना को देखे तथा मौके से जान से मारने की धमकी देते हुए सभी विपक्षीगण भाग गये। जिसके सम्बन्ध में थाना चौबेपुर में मु0अ0सं0 449/2024 धारा 115(2), 117(2),110, 352, 351(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 शशि प्रताप सिंह द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. शिवम कुमार पुत्र नागेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम रमना थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी।
2. रंजीत कुमार पुत्र नागेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम रमना थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी।
3. अजीत कुमार पुत्र नागेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम रमना थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी।

गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान- दिनांक-20.07.2024 को समय करीब 11.00 बजे ग्राम रमना थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

आपराधिक इतिहास – मु0अ0सं0-449/2024 धारा 191(2),115(2),117(2),110,352,351(2) बी.एन.एस. थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 विद्याशंकर शुक्ल थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 शशि प्रताप सिंह थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 विपिन चन्द्र यादव थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी